

22



विवाहित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-

/2013/निगरानी - R303-PBR/13

1. श्रीमती मायाबाई वेवा पत्नी स्व०श्री इमरत चमार
2. मोहन सिंह पुत्र स्व०श्री इमरत चमार, निवासीगण-ग्राम बनबीर खेड़ी तहसील आरोन जिला गुना (म०प्र०)

-----आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना (म०प्र०)

-----अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 31.03.2005 पारित न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना म०प्र०) प्रकरण क्रमांक-

418/98-99/स्वनिगरानी

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-303-पीबीआर/2013

जिला-गुना

श्रीमती मायाबाई व अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
13-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.एल. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-गुना के प्र. क्र. 418/1998-99/स्व-निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-03-2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 12-06-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 13/5/19</p>

3